# न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या– 49 /2012–13 अन्तर्गत धारा–219 भू–राजस्व अधिनियम

श्री सीताराम

–बनाम–

सरकार द्वारा कलेक्टर, हरिद्वार आदि

उपस्थिति : श्री सुभाष कुमार, आई0ए0एस0 अध्यक्ष।

बावत
मौजा इब्राहिमपुर, परगना–भगवानपुर,
तहसील रूड़की, जनपद हरिद्वार।

## आदेश

यह निगरानी उप जिलाधिकारी, रूड़की के खतौनी फसली वर्ष 1398–1403 में अंकित आदेश दिनांक 15–05–96 अन्तर्गत धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम जिसका अमल दरामद दिनांक 10–06–96 को हुआ है के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश दिनांक 15–05–96 जिसका अमल दरामद दिनांक 10–06–96 को खाता संख्या–563 पर अंकित है विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एवं बिना कोई नोटिस जारी किए पारित किया गया है। निगरानीकर्ता वादग्रस्त भूमि गाटा संख्या–799/2 रकबा 0.103 है0 व गाटा संख्या–878 रकबा 0.103 है व गाटा संख्या–886/2 रकबा 0.256 है0 कुल रकबा 0.462 है0 पर निगरानीकर्ता 1359 फसली जमींदारी खात्मा से पूर्व से काश्तकार के रूप में काबिज व दर्ज चला आ रहा है और आज भी स्थल पर निगरानीकर्ता का कब्जा है। भू–राजस्व अधिनियम की धारा–33/39 के अन्तर्गत क्षुब्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही राजस्व अभिलेखों से इन्द्राज निरस्त नहीं किया जा सकता। वादग्रस्त भूमि से निगरानीकर्ता को कोई सूचना अथवा नोटिस जारी किए बिना ही निगरानीकर्ता का नाम खारिज कर ग्राम सभा का नाम दर्ज किया गया है। आदेश की जानकारी निगरानीकर्ता को लेखपाल से अपनी भूमि की जानकारी करने पर हुई जिसके पश्चात उसके द्वारा खतौनी की नकल प्राप्त की गई। खतौन में दर्ज आदेश की कोई पत्रावली राजस्व अभिलेखागार में प्राप्त नहीं हुई है जिसके कारण आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त नहीं हो सकी। निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15–05–96 जिसका अमल दरामद दिनांक 10–06–96 को हुआ है निरस्त किया जाय।

प्रतिपक्षी राज्य सरकार एवं ग्रामसभा की ओर जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) ने तर्क दिया कि निगरानी कालबाधित है और निगरानी के साथ धारा–5 मियाद अधिनियम का जो प्रार्थना पत्र संलग्न किया गया है उसमें आदेश की जानकारी हेतु कोई स्पष्ट तथ्य

उल्लिखित नहीं किये गये हैं। निगरानी 16 साल बाद योजित की गई है जो कानूनन कालबाधित है और निरस्त होने योग्य है।

अधिवक्ता पक्षकारों के तर्क सुने गये एवं निगरानी पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह निगरानी निगरानीकर्ता ने उप जिलाधिकारी, रूड़की के खतौनी फसली 1398–1403 में अंकित आदेश दिनांक 15–05–96 जिसका अमल दरामद दिनांक 10–06–96 को हुआ है के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। इस आदेश से वादग्रस्त भूमि मौजा इब्राहिमपुर मसारी, परगना भगवानपुर, तहसील–रूड़की खाता संख्या–563 के खसरा संख्या–799/2 रकबा 0.103 है0, खसरा संख्या–878 रकबा 0.103 है0 व खसरा संख्या–886/2 रकबा 0.256 है0 से अवैध खातेदार सीताराम पुत्र रद्दी का नाम खारिज कर ग्रामसभा का नाम दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के साथ संलग्न धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का भी अवलोकन किया गया। निगरानीकर्ता ने इस प्रार्थना पत्र में आदेश की जानकारी लेखपाल से भूमि का जानकारी करने पर दिनांक 13–02–2013 को तहसील से खतौनी की नकल प्राप्त होने का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई ठोस कारण मियाद अधिनियम की धारा–5 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित नहीं है। उप जिलाधिकारी द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांक 15–05–96 को पारित किया गया है और निगरानीकर्ता ने निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 11–03–2013 अर्थात आदेश पारित होने के लगभग 16 वर्ष पश्चात योजित की है जो कालबाधित है। निगरानी के साथ संलग्न मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में भी ऐसा कोई ठोस कारण दर्शित नहीं है जिससे यह पुष्ट हो सके निगरानीकर्ता को वास्तव में प्रश्नगत आदेश की जानकारी वर्ष 2013 में हुई है। इसके अतिरिक्त निगरानीकर्ता ने विद्वान उप जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्व उनके न्यायालय में कोई पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है ऐसा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। निगरानीकर्ता को प्रश्नगत आदेश को निरस्त कराने अथवा पुनर्स्थापन हेतु उप जिलाधिकारी के समक्ष पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। निगरानी काफी दीर्घ अवधि पश्चात प्रस्तुत की गई है जो कालबाधित है और निरस्त होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में कालबाधित होने के कारण निगरानी निरस्त की जाती है।

दिनांकः 16 अगस्त, 2014

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष,
राजस्व परिषद।